XXXIX(a)-BR(H)-11

देवीसिंह / श्रीमती छटकाबाई

(268)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 1571-I/11 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/9/16	आवेदक अभि. श्री बी.के. बैरागी उप. उन्होंने संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 20/9/16 को पारित अंतिम आदेश के शीर्ष में अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर के स्थान पर अतिरिक्त कमिश्नर, सागर टंकित हो गया है, यह एक लिपिकीय त्रुटि है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। विचारोपरांत आवेदक अभि. द्वारा बताई गई त्रुटि अभिलेख पर आधारित होने से आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के शीर्ष में अतिरिक्त कमिश्नर, सागर के स्थान पर अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर पढ़ा जाये यह निर्देश दिए जाते हैं। यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा। (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) (B.K. Bairagi Adv.)

[कृ. प. उ.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1471–एक/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 22/3/11 पारित द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक अपील 35/अ–6/08–09.

1– देवीसिंह पिता स्व. भगवानदास राजपूत
2– बिहारीसिंह पिता स्व. भगवानदास
3– श्रीमती पन्नाबाई पत्नि स्व. भगवान दास राजपूत (मृत)
4– श्रीमती सुमनबाई बेवा राजू राजपूत
5– नितिन पिता स्व. राजू राजपूत (अव्यस्क)
5– नितिन पिता स्व. राजू राजपूत (अव्यस्क)
6– निधि पिता स्व. राजू राजपूत (अव्यस्क)
कमांक 5 स 7 अव्यस्क द्वारा वाद मित्र मां
श्रीमती सुमनबाई पत्नि स्व. श्री राजू राजपूत
सभी निवासी ग्राम करोदी तहसील पाटन,
जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरुद्ध

1– श्रीमती कृष्णाबाई पत्नि रमेश कुमार राजपूत
निवासी तहसील पाटन जिला जबलपुर म0प्र0
2– श्रीमती वंदना बाई पत्नि जुगल किशोर राजपूत
निवासी बोरिया तहसील पाटन
जिला जबलपुर म0प्र0
3– श्रीमती कल्पना बाई पति राजेश सिंह राजपूत
निवासी ग्राम पोनिया तहसील पाटन
जिला जबलपुर म0प्र0 ---- अनावेदकगण

......

:: आदेश ::

(आज दिनांक 20.9.2016 को पारित)

....

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 35/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 22/3/11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया । विचारण न्यायालय ने विचारण उपरांत उक्त आवेदन स्वीकार कर अनावेदकों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे उभयपक्षों को दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात प्रकरण में आदेश पारित किया जाये । इस आदेश के उपरांत विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 22–7–04 द्वारा दोनों पक्षों का नामांतरण मृतक भूमिस्वामी भगवान दास राजपूत के स्थान पर करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30–12–05 को आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयतनामा को अनुप्रमाणित कराया जाकर गुणदोषों के आधार पर आदेश पारित किया जाये । विचारण नयालय द्वारा पुनः आदेश दिनांक 29–6–07 द्वारा वसीयत को संदेह से परे नहीं मानते हुए दोनों पक्षों के नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 8–10–08 द्वारा स्वीकार कर वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदकों की ओर से अधिवक्ता श्री एन0 पी0 पाण्डे तथा अनावेदकों की ओर से अधिवक्ता आर0के0 कनौजिया द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से यह पाया जाता है कि मृतक भगवानदास द्वारा लिखी गई वसीयत को गवाहों की साक्ष्य से सिद्ध किया

गया है । नामांतरण नियमों के नियम 32 के अनुसार नामांतरण स्वत्व के आधार पर संक्षिप्त जांच के पश्चात किए जाने का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालयों को यह देखना होगा कि जिस दस्तावेज के आधार पर स्वत्व होना दर्शाया गया है, क्या उस दस्तावेज से आवेदक के हक में स्वत्व अंतरित होना सिद्ध है ? मात्र तकनीकि बिंदुओं के आधार पर सूक्ष्म जांच नामांतरण के संबंध में करने की आवश्यकता नहीं होगी । आवेदकों के पक्ष में लिखी गई वसीयत को गवाहों की साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है, इस कारण से वसीयत को फर्जी कह देने मात्र से इसे संदिग्ध नहीं माना जा सकता, जब तक कि इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत न की गई हो । अनावेदकों ने वसीयतनामा फर्जी होना व वसीयतनामा के समय वसीयतकर्ता भगवानदास मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के संबंध में कोई स्वतंत्र मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । वसीयतनामे को गवाहों के कथन द्वारा सिद्ध किया गया था । अतः जहां तक अन्य तकनीकि बिंदुओं का प्रश्न है उसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष साक्ष्य के विपरीत न होने से वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यो को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/3/11 निरस्त किया जाता है । परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 08/10/2008 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर